न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4139–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–11–2054 पारित द्वारा नायब तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर प्रकरण कमांक 2 अ–13/2015–16 –––––

कैलाशचन्द्र पुत्र नारायण सिंह गेहलोत
ग्राम बंजारी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर ––––– आवेदक

विरूद्ध

1– रमेश चंद 2– कुमेरसिंह 3– बनेसिंह 4– रायसिंह
चारों पुत्रगण गोरेलाल ग्राम बंजारी तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर मध्यप्रदेश ––––– अनावेदकगण

–––––

श्री चन्दन सिंह पवार अभिभाषक – आवेदक ।

––––

:: आदेश ::
(आज दिनांक 30 जनवरी 2016)

यह निगरानी नायब तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण कमांक 2 अ–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09–11–2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त में सॉराश यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार शुजालपुर के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131, 132, 133, 134, के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बंजारी स्थित उसके स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 143/3/2 रकबा 0.548 हैक्टर पर जाने का मार्ग अनावेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया है इसलिये मार्ग खुलवाया जावे । आवेदक ने अंतरिम आदेश प्रदान करने हेतु धारा 32 का आवेदन भी प्रस्तुत किया । नायव तहसीलदार ने राजस्व

निरीक्षक एंव पटवारी से स्थल रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश दिनांक 9-11-15 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषका तर्क है कि आवेदक एंव अनावेदकगण एक ही परिवार के है तथा सर्वे कमांक 143 काफी बड़ा रकबा था जिसके बटवारा होने पर आवेदक एंव अनावेदकगण को भूमि भूमियां प्राप्त हुई हैं वह सर्वे कमांक 143 के बटांकन में दर्शाई गई वादग्रस्त रास्ता भूमि हैं । बटवारे के पश्चात आवेदक वादग्रस्त रास्ते का उपयोग करता आ रहा है किन्तु आपसी विवाद व मनमुटाव हो जाने के कारण अनावेदकगण ने रास्ता रोक दिया है जिसके कारण सिंचाई हेतु आने जाने एंव खाद बीच ले जाने में अड़चन हो रही है। खेत में खड़ी फसल पानी के अभाव में न सूख जावे, इसलिये आने जाने के लिये अंतरिम सहायता मांगी गई थी परन्तु परमंपरागत मार्ग को नायव तहसीलदार व्दारा शीध्र न खुलवाने का निर्णय लेने में गलती की हैं

5/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब आवेदक एंव अनावेदक एक ही परिवार के हैं एंव उनके बीच सर्वे नंबर 143 विभाजित हुआ है तब निश्चित है कि किसी एक खेत की मेढ़ से दूसरे खेत पर आना-जाना स्वभाविक है। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 2 अ-13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 9-11-15 के अंत में लिखा है कि जिस मार्ग से फसल बुआई के लिये आवेदक गया है उसी मार्ग का प्रयोग फसल ढोने के लिये करें । नायव तहसीलदार का यह आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जब आवेदक जिस रास्ते को रोकना बता रहा है परंपरागत रास्ता होने का तथ्य भी बताया गया है अर्थात रूढ़िगत रास्ता रोके जाने पर अंतरिम आदेश से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक आवेदक को रास्ते का सुखाचार दिया जा सकता है परन्तु नायव तहसीलदार ने संहिता की धारा 131 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्य न करके एंव आवेदक को साक्ष्य एंव सुनवाई का

अवसर न देते हुये स्वस्तर से एंव राजस्व निरीक्षक तथा हलका पटवारी के प्रतिवेदन पर रूढ़िगत रास्ता न होना मानकर प्रकरण निरस्त किया है जो उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार सुजालपुर जिला शाजापुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 2 अ-13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 9-11-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि नायव तहसीलदार स्वयं स्थल निरीक्षण करें एंव स्थल पर ग्रामीणों से पूछताछ करते हुये उभय पक्ष को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर देकर पुनः तीन माह में विधिवत् आदेश पारित करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर